

राजस्थान वित्त विधेयक, 2021

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951, राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम.-** इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2021 है।
2. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.-** राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के उपबंध, उक्त अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

3. **1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.-** राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

- (i) खण्ड (i) के अंत में आये विद्यमान विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (i) को, खण्ड (i-ख) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा; और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित विद्यमान खण्ड (i-ख) से पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

- "(i-क) "पैतृक संपत्ति" से किसी के माता या पिता से या उनके पूर्ववर्तियों से विरासत में आई संपत्ति अभिप्रेत है और इसमें किसी सहदायिकी या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की संपत्ति सम्मिलित है;" और
- (ii) विद्यमान खण्ड (x-क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- "(x-क) "रियायत करार" से लोक माल या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक ओर केन्द्रीय या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय या उक्त सरकारों का कोई अन्य अभिकरण और दूसरी ओर किसी प्राइवेट संस्था के बीच कोई ऐसा करार अभिप्रेत है जिसमें ऐसी सरकार, प्राधिकारी, निकाय या अभिकरण ऐसे लोक माल या सेवाओं की परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए प्राइवेट संस्था को समर्थ बनाने के लिए उसे किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए अनुज्ञप्ति के माध्यम से कतिपय विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है;"।

4. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 में नयी धारा 64-क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 64 के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 6 से पूर्व निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"64-क. स्टाम्प शुल्क और/या अधिभार के रूप में जमा की गयी रकम जो इस प्रकार उपयोग के लिए अपेक्षित नहीं है, का प्रतिदाय.- जब किसी व्यक्ति ने उसके द्वारा या उसके पक्ष में निष्पादित किये जाने के लिए आशयित किसी लिखत के संबंध में स्टाम्प शुल्क और/या अधिभार के रूप में उपयोग किये जाने के लिए ई-ग्रास के माध्यम से कोई रकम जमा करा दी है, और उसके पश्चात् या तो वह आशयित लिखत निष्पादित नहीं की जाती है या वह रकम उस लिखत के लिए किसी भी कारण से, चाहे जो भी हो, उपयोग नहीं की जा सकती है, या अन्यथा धारा 58 के अधीन प्रतिदेय हो जाती है तो कलक्टर उस तारीख, जिसको ऐसी रकम जमा की गयी है, या, यथास्थिति, प्रतिदेय होने से छह मास के भीतर-भीतर फाइल किये गये आवेदन पर और कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित किये जाने पर-

- (क) कि आशयित लिखत निष्पादित नहीं की गयी है; या
- (ख) कि आवेदन में विनिर्दिष्ट कारण या कारणों से उस लिखत के लिए वह रकम स्टाम्प शुल्क और/या अधिभार के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती है या धारा 58 के अधीन प्रतिदेय हो गयी है; और

(ग) कि प्रतिदाय के लिए आवेदन, रकम जमा कराने की तारीख से या, यथास्थिति, उस तारीख से जिस पर वह रकम प्रतिदेय हो गयी है, छह मास के भीतर-भीतर फाइल किया गया है, उस रकम को उसमें से प्रत्येक रुपये या रुपये के प्रभाग के लिए दस पैसे की कटौती करते हुए प्रतिदत्त करेगा।"।

5. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(i) अनुच्छेद 5 के खण्ड (ग) में, स्तम्भ सं. 2 के नीचे विद्यमान परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन वर्ष" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) अनुच्छेद 35-ख में, विद्यमान खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) किसी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में या विपर्ययेन संपरिवर्तन की लिखत-

(क)	जहां संपरिवर्तन पर स्थावर संपत्ति	स्थावर संपत्ति के बाजार
	पारिणामिक संस्था में निहित हो	मूल्य पर दो प्रतिशत।
(ख)	किसी अन्य मामले में	पांच हजार रुपये।"; और

(iii) अनुच्छेद 48 में, विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) पैतृक संपत्ति के मामले में त्यागे गये शेयर, हित, भाग या दावे के बाजार मूल्य के बराबर रकम का 1.5 प्रतिशत।"।

अध्याय 3

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 में संशोधन

6. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 7) की धारा 6 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

- "(ग) 1 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली छह वर्षों की कालावधि के भीतर अपने कुल बकाया ऋण को सकल राज्य देशी उत्पाद के 38.2 प्रतिशत तक सीमित करेगी और तत्पश्चात् उक्त अनुपात को बनाये रखेगी या इसे कम करेगी;" और
- (ii) प्रथम परन्तुक के खण्ड (घ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिन्ह "," के स्थान पर अभिव्यक्ति "; या" प्रतिस्थापित की जायेगी और इस प्रकार संशोधित उक्त खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-
- "(ड) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के मद्दे अतिरिक्त उधार लेने की सीमा अनुज्ञात किये जाने के कारण:"।

अध्याय 4

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

7. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (2) के विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु,-

- (i) ऐसे अभ्यर्पण या उपयोग में न लाने की कालावधि मंजिली गाड़ियों के लिए सात दिन से कम और मंजिली गाड़ियों से भिन्न के लिए तीस दिन से कम की नहीं होगी; और
- (ii) ऐसे अभ्यर्पण की कालावधि, यान के चोरी हो जाने की दशा में के सिवाय, यानों के समस्त प्रवर्गों के लिए नब्बे दिन से अधिक की नहीं होगी:"।

अध्याय 5

राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 में संशोधन

8. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 40 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 40) की धारा 3 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ करोड़ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक हजार करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 6

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

9. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 33 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 33 में विद्यमान उप-धारा (4) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (5) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(4क) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 30 जून, 2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित परिशुद्धि आवेदन, 30 जून, 2021 तक फाइल किया जा सकेगा और ऐसे आवेदन 30 सितम्बर, 2021 तक या उनके फाइल किये जाने की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर, जो भी पश्चात्पूर्ति हो, निपटाये जायेंगे।"

10. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 34 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 34 में विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(3क) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 30 जून, 2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित इस धारा के अधीन आवेदन, 30 सितम्बर, 2021 तक संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को सीधे ही व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जा सकेगा और निर्धारण प्राधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति से नब्बे दिन के भीतर-भीतर नया निर्धारण करने की कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 48 के अधीन पैतृक सम्पत्ति पर स्टाम्प शुल्क के उपबंध हैं किंतु उक्त अधिनियम में पद 'पैतृक सम्पत्ति' परिभाषित नहीं है। इसलिए, अभिव्यक्ति 'पैतृक सम्पत्ति' की परिभाषा अधिनियम में सम्मिलित की जानी प्रस्तावित है।

रियायत करार की परिभाषा को, इसकी परिधि में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों, कानूनी निकायों या उक्त सरकारों के किन्हीं अन्य अभिकरणों को लाने और इसके विस्तार को स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार स्टाम्प शुल्क और अधिभार स्टाम्प शुल्क के संदाय की अन्य रीतियों के साथ-साथ ई-ग्रास के माध्यम से भी संदत्त किया जा सकता है किंतु ई-ग्रास के माध्यम से संदत्त अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क या अधिभार के प्रतिदाय के उपबंध उक्त अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से नहीं किये गये हैं। अतः, ई-ग्रास के माध्यम से संदत्त स्टाम्प शुल्क या अधिभार के प्रतिदाय के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम में एक नयी धारा 64-क जोड़ी जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ग) के परन्तुक के वर्तमान उपबंधों के अनुसार विक्रय के करार पर संदत्त स्टाम्प शुल्क, विक्रय के करार के निष्पादन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, ऐसे करार के अनुसरण में निष्पादित हस्तांतरण विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय समायोजित किया जाता है। जबकि भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 16), मुख्यमंत्री जन आवास योजना या राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के अधीन सक्षम प्राधिकारी, भू-संपदा परियोजना के पूर्ण होने की कालावधि को तीन वर्ष से अधिक के लिए अनुज्ञात या विस्तारित कर सकता है। जहां सक्षम प्राधिकारी, भू-संपदा परियोजना के पूर्ण होने की कालावधि को तीन वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए अनुज्ञात या विस्तारित करता है, वहां ऐसी परियोजना के अधीन आवंटिती या हिताधिकारी उसके द्वारा विक्रय के करार पर संदत्त स्टाम्प शुल्क के समायोजन के फायदे से वंचित रह जाता है। इसलिए, हस्तांतरण विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय विक्रय के करार पर संदत्त स्टाम्प शुल्क के समायोजन की कालावधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 35-ख के अधीन फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सीमित दायित्व

भागीदारी में संपरिवर्तन की लिखतों पर स्टाम्प शुल्क विहित है किंतु सीमित दायित्व भागीदारी के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन की लिखत पर स्टाम्प शुल्क के संबंध में कोई उपबंध नहीं है। इसलिए, सीमित दायित्व भागीदारी के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन की लिखत पर स्टाम्प शुल्क के उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 35-ख के उपबंधों को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में, स्टाम्प शुल्क पर रियायत, कतिपय विनिर्दिष्ट सह-स्वामियों, सह-अंशधारियों और सहदायिकों को उपलब्ध है, जहां वे पैतृक सम्पत्ति में अपने हित, शेयर या दावों का त्याग करते हैं। अब, यह फायदा पैतृक सम्पत्ति के समस्त सह-स्वामियों, सह-अंशधारियों और सहदायिकों तक विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 48(क) को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

2. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 को समयबद्ध लक्ष्यों सहित राजवित्तीय समेकन का जिम्मा लेकर राजवित्तीय उत्तरदायित्व रीति में राज्य वित्तों का प्रबंध करने के लिए राज्य सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए अधिनियमित किया गया था। 2019-20 के पश्चात्, अधिनियम में बकाया ऋण की सीमा विहित नहीं की गयी है। इसलिए, अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (ग) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

अभूतपूर्व कोविड-19 वैश्विक महामारी और इससे संबंधित लॉकडाउन के कारण चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के वित्तीय संसाधनों और आर्थिक वृद्धि पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए और जनता को सेवा का परिदान करने के मानकों को बनाये रखने के लिए राज्य को अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है जो सरकार को संसाधनों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त उधार लेने हेतु बाध्य कर सकती है।

हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने, राज्यों को उनके अपने-अपने राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने के अध्यक्षीन रहते हुए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य देशी उत्पाद (स.रा.दे.उ.) की 3 प्रतिशत की सामान्य सीमा से अधिक सकल राज्य देशी उत्पाद के 2 प्रतिशत तक (स.रा.दे.उ. का कुल 5 प्रतिशत तक) अतिरिक्त उधार लेने के लिए अनुज्ञात किया है।

इसलिए, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 6 के प्रथम परन्तुक में नया खण्ड (ड) जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

3. राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उप-धारा (2) राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग के लिए रखे गये सभी मोटर यानों पर उस कालावधि को छोड़कर, जिसके दौरान वाहन स्वामी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र अभ्यर्पित करता है, मोटर यान कर के अधिरोपण का उपबंध करती है। उक्त उप-धारा का प्रथम परन्तुक ऐसे अभ्यर्पण या अनुपयोग की न्यूनतम कालावधि, अर्थात् एक मास जो कि कैलेण्डर मास है, उल्लिखित करता है। एक मास की यह अवधि मंजिली गाड़ियों से भिन्न यानों के स्वामियों को उनके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को एक कैलेण्डर मास की आवधिकता पूर्ण किये जाने के कारण अधिक कालावधि के लिए अभ्यर्पित रखने के लिए बाध्य करती है। इस बाध्यता को दूर करने के लिए यह विचार किया गया कि एक मास की अवधि के स्थान पर तीस दिन की अवधि प्रतिस्थापित की जाये। विद्यमान परन्तुक अभ्यर्पण की अधिकतम कालावधि के लिए उपबंध नहीं करता है। अतः, यान के चोरी हो जाने की दशा में के सिवाय, यानों के समस्त प्रवर्गों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को अभ्यर्पित किये जाने के लिए नब्बे दिवस की अधिकतम कालावधि के लिए उपबंध किये जाने हेतु समुचित संशोधन अपेक्षित है।

तदनुसार, धारा 4 की उप-धारा (2) का प्रथम परन्तुक संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

4. राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956

राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 में राज्यपाल महोदय को, उन अपूर्वदृष्ट व्ययों को पूरा करने के लिए पांच सौ करोड़ रुपये की राशि सौंपने का प्रावधान है जिनकी बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। पूर्व में वर्ष 2013 में किये गये संशोधन के पश्चात् बजट के आकार में लगभग दो गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसी तरह अपूर्वदृष्ट मदों की मांग में बढ़ोत्तरी भी संभावित है। अतः राजस्थान आकस्मिकता निधि में अग्रदाय की रकम को पांच सौ करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक हजार करोड़ रुपये की जानी प्रस्तावित है।

5. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 निरसित किया गया, 01.07.2017 से प्रवृत्त हुआ। तथापि, एकपक्षीय निर्धारणों और परिशुद्धि न होने के कारण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 से संबंधित मांगें और विवाद बड़ी संख्या में बकाया चल रहे हैं।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 अभिलेख से प्रकट किसी भी गलती की परिशुद्धि का उपबंध करती है। उक्त धारा की उप-धारा (2) यह उपबंधित करती है कि परिशुद्धि के लिए कोई भी आवेदन परिशुद्ध किये जाने के लिए ईप्सित आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् फाइल नहीं किया जायेगा और उक्त धारा की उप-धारा (4) यह उपबंधित करती है कि उक्त धारा के अधीन परिशुद्ध किये जाने के लिए ईप्सित आदेश की तारीख से चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कोई परिशुद्धि नहीं की जायेगी। इसलिए, 30.06.2017 तक की कालावधि से संबंधित अभिलेख से प्रकट गलतियों की परिशुद्धि के लिए आवेदन फाइल किये जाने साथ ही उनके निपटाये जाने के लिए तारीखों को बढ़ाये जाने हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 की विद्यमान उप-धारा (4) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (5) से पूर्व नयी उप-धारा (4क) अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 34 ऐसे एकपक्षीय निर्धारण को पुनः खोले जाने के लिए उपबंध करती है, जिसमें निर्धारण के परिणामस्वरूप मांग नोटिस की तामील से तीस दिन के भीतर-भीतर संबंधित उप-आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष व्यवहारियों से इससे संबंधित आवेदन, किया जाना अपेक्षित है। इसकी न्यायसम्मतता के संबंध में उप-आयुक्त (प्रशासन) का समाधान हो जाने पर उप-आयुक्त (प्रशासन) निर्धारण प्राधिकारी को एकपक्षीय निर्धारण को रद्द करने और नया निर्धारण करने का निदेश दे सकेगा। इसलिए प्रक्रिया को सरलीकृत करने के लिए, 30.06.2017 तक की कालावधि से संबंधित एकपक्षीय निर्धारणों को पुनः खोले जाने के लिए आवेदन फाइल करने साथ ही उन्हें निपटाये जाने के लिए तारीखों को बढ़ाये जाने के लिए तथा आवेदन, संबंधित उप-आयुक्त (प्रशासन) के बजाय सीधे ही संबंधित निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष फाइल करने के उपबंध करने के लिए उक्त धारा की विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् नयी उप-धारा (3क) जोड़ी जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) एवं (3) के अन्तर्गत माननीय
राज्यपाल महोदय की सिफारिश

[सं.प. 12(29)वित्त/कर/2021 दिनांक 24.02.2021]

प्रेषक: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर]

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2021 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) एवं (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित और प्रचालित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 8 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि में से पांच सौ करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम राजस्थान राज्य की आकस्मिकता निधि में संदत्त किये जाने का प्रावधान किया गया है।

यह अनावर्ती प्रकार का व्यय है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) से लिये गये

उद्धरण

XX	XX	XX	XX
2. परिभाषाएं:- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,-			
(i)	XX	XX	XX
(i) 'संगम' से अभिप्रेत है कोई भी व्यक्ति संगम, विनियम दलाल, या व्यक्तियों का कोई भी अन्य संगठन या निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, और जो किसी भी माल या विपण्य प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय के कारबार या उससे संबंधित अन्य संव्यवहार का विनियमन या नियंत्रण या संचालन कर रहा हो।			
(ii) से (x)	XX	XX	XX
(x-क) "रियायत करार" से ऐसा कोई करार अभिप्रेत है, जिसमें सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अन्य कानूनी संस्था द्वारा राज्य में स्थित अपनी किसी भी भूमि या सम्पत्ति के संबंध में ऐसी भूमि या सम्पत्ति का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक आधार पर कोई सेवा उपलब्ध कराने के लिए कोई अधिकार प्रदान किया जाना अंतर्वलित हो;			
(xi) से (xxxvii)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

अनुसूची
(धारा 3 देखिए)

लिखतों का वर्णन		उचित स्टाम्प शुल्क	
1		2	
XX	XX	XX	XX

5. करार या करार का ज्ञापन-

(क) से (ख)	XX	XX	XX
(ग) यदि वह स्थावर सम्पत्ति के क्रय या विक्रय से संबंधित है, जब कब्जा न तो दिया गया हो और न ही देने का करार किया गया हो;		करार या करार के ज्ञापन में यथा- उपवर्णित संपत्ति के कुल प्रतिफल का तीन प्रतिशत:	

परन्तु ऐसे करार पर संदत्त स्टाम्प शुल्क ऐसे करार के अनुसरण में हस्तांतरण-पत्र के निष्पादन के समय हस्तांतरण-पत्र पर प्रभार्य शुल्क की कुल रकम के प्रति बाद में समायोजित किया जायेगा, यदि ऐसा

हस्तांतरण-विलेख करार की तारीख से
तीन वर्ष के भीतर-भीतर निष्पादित
किया जाये।

(घ) से (छ) XX XX XX
XX XX XX XX

35-ख. सीमित दायित्व भागीदारी (सीदाभा).- (1) XX XX XX

(2) फर्म/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/असूचीबद्ध पब्लिक
लिमिटेड कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में
संपरिवर्तन की लिखत-

(क) जहां संपरिवर्तन पर स्थावर संपत्ति सीमित दायित्व स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य पर दो
भागीदारी में निहित हो प्रतिशत।

(ख) किसी अन्य मामले में पांच हजार रुपये।

(3) से (4) XX XX XX
XX XX XX XX

48. निर्मुक्ति अर्थात् कोई लिखत जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं
है जिसके लिए धारा 26(2) द्वारा उपबंध किया गया है
जिसके द्वारा कोई सह-स्वामी, सह-अंशधारी या सहदायिक
अपना हित, अंश, भाग या दावा अन्य सहस्वामी, सह-
अंशधारी या सहदायिक के पक्ष में त्याग देता है,-

(क) यदि किसी पैतृक सम्पत्ति या उसके किसी भाग का त्याग गये शेयर, हित, भाग या दावे
निर्मुक्ति विलेख, भाई या बहिन (त्यागने वाले के माता- के बाजार मूल्य के बराबर रकम का
पिता के बच्चे) या पुत्र या पुत्री या पूर्वमृत पुत्र का पुत्र 1.5 प्रतिशत।
या पूर्वमृत पुत्र की पुत्री या पिता की बहिन या पूर्वमृत
भाई का पुत्र या माता का भाई या बहिन का पुत्र या
बहिन की पुत्री या पिता या माता या त्यागने वाले की
पत्नी या पति के द्वारा या उनके पक्ष में निष्पादित किया
जाये।

(ख) XX XX XX
XX XX XX XX

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का
अधिनियम सं. 7) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

6. राजवित्तीय प्रबन्ध के लक्ष्य.- विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर
प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार-

(क) से (ख) XX XX XX

(ग) वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए अपने कुल बकाया ऋण को सकल राज्य देशी उत्पाद के क्रमशः 36.5, 36.5, 35.5, 35.0 और 34.0 प्रतिशत तक सीमित करेगी;

(घ) से (च) XX XX XX

परन्तु राजस्व घाटा और राजवित्तीय घाटा,-

(क) से (ग) XX XX XX

(घ) भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 06/02/2015-एनईएफ/एफआरपी दिनांक 20 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रख्यापित उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना के अधीन ऊर्जा वितरण कम्पनियों के उधारों को टेकओवर करने और उन पर ब्याज के कारण,

इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो सकेगा:

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में उल्लिखित आधारों के कारण होने वाले सीमाओं के आधिक्य को, उक्त आधारों पर व्यय के विस्तृत विवरण सहित, यथासंभव शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष स्पष्ट किया जायेगा।

XX XX XX XX

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) से

लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

4. कर का अधिरोपण.- (1) XX XX XX

(2) इस धारा के अधीन एकबारीय कर के अंतर्गत आने वाले मोटर यानों से भिन्न मोटर यानों पर कर, मोटर यान के स्वामी द्वारा उस कालावधि को छोड़कर संदेय होगा, जिसके दौरान वह स्वामी कराधान अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र विहित रीति से अभ्यर्पित कर देता है कि यान ऐसे कारणों से जो विहित किये जायें, उपयोग में नहीं आया है; या कराधान अधिकारी का यह समाधान कर देता है कि यान का निम्नलिखित कारणों से उपयोग नहीं किया गया है:-

(i) से (iii) XX XX XX

परन्तु ऐसे अभ्यर्पण या उपयोग में न लाने की कालावधि मंजिली गाड़ियों के लिए सात दिन से कम और मंजिली गाड़ियों से भिन्न के लिए एक मास से कम की नहीं होगी:

परन्तु यह और कि जहां ऐसे यान, जिसके लिए धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर का संदाय कर दिया है, से भिन्न कोई मोटर यान रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के अभ्यर्पण के पश्चात् भी चलता हुआ पाया जाये वहां ऐसे यान पर कर उस सम्पूर्ण कालावधि के लिए जिसके लिए ऐसा रजिस्ट्रीकरण अभ्यर्पित किया गया था, कर की रकम के पांच गुने के बराबर शास्ति सहित तुरन्त संदेय होगा, किन्तु ऐसा कोई भी कर या

शास्ति मरम्मत के लिए या परीक्षण प्रयोजनों के लिए जा रहे खाली यानों से प्रभारित नहीं किया जायेगा।

XX

XX

XX

XX

राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 40) से लिये गये उद्धरण

XX

XX

XX

XX

3. राज्य आकस्मिकता निधि की स्थापना, उसकी अभिरक्षा और उसमें से रकमों का निकाला जाना.- (1) राज्य के लिये नियत दिन से अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि की स्थापना की जायेगी, जिसका नाम राजस्थान राज्य की आकस्मिकता निधि होगा और जिसमें राज्य की संचित निधि में से पांच सौ करोड़ रुपये दिये जायेंगे।

(2)

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) से लिये गये उद्धरण

XX

XX

XX

XX

33. किसी गलती की परिशुद्धि.- (1) XX XX XX

(2) उप-धारा (1) के अधीन परिशुद्धि के लिए कोई भी आवेदन परिशुद्ध किये जाने के लिए ईप्सित आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् फाइल नहीं किया जायेगा।

(3)

XX

XX

XX

(4) इस धारा के अधीन कोई भी परिशुद्धि परिशुद्ध किये जाने के लिए ईप्सित आदेश की तारीख से चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं की जायेगी।

(5) परिशुद्धि का कोई भी ऐसा आदेश, जिसके प्रभाव से किसी व्यवहारी के दायित्व में किसी भी रूप में वृद्धि होती हो, उसे सुने जाने का कोई अवसर दिये बिना, नहीं किया जायेगा।

34. एकपक्षीय निर्धारण का पुनः खोला जाना.- (1) जहां कोई निर्धारण धारा 22 या धारा 24 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) या धारा 25 या धारा 26 या धारा 27 के अधीन एकपक्षीय किया गया है वहां उप-आयुक्त (प्रशासन), ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप मांग नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर, व्यवहारी द्वारा ऐसी फीस, जो विहित की जाये, के साथ किये गये आवेदन पर, आदेश द्वारा, निर्धारण प्राधिकारी या, यथास्थिति, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को निर्धारण रद्द करने और विधि के उपबंधों के अनुसार नया निर्धारण करने की कार्यवाही करने का निदेश दे सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन निदेश जारी करने के पूर्व उप-आयुक्त (प्रशासन) को यह समाधान कर लेना चाहिए कि आवेदक व्यवहारी ने धारा 22 या धारा 24 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) या धारा 25 या धारा 26 या धारा 27 के अधीन उसे जारी किये गये नोटिस या समन प्राप्त नहीं किये या कि वह निर्धारण के लिए उसे जारी किये गये किसी भी नोटिस या समन का पालन करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था।

(3) जहां उप-धारा (1) के अधीन निर्धारण के रद्दकरण का कोई आदेश पारित कर दिया गया हो, वहां निर्धारण प्राधिकारी या, यथास्थिति, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन उप-आयुक्त (प्रशासन) द्वारा पारित किये गये आदेश की संसूचना से साठ दिन के भीतर-भीतर नया निर्धारण करेगा।

XX

XX

XX

XX

(Authorised English Version)

THE RAJASTHAN FINANCE BILL, 2021

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A
Bill*

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998, the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, the Rajasthan Motor Vehicle Taxation Act, 1951, the Rajasthan Contingency Fund Act, 1956 and the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for the financial year 2021-22.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2021.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 3, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

**CHAPTER II
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998**

3. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

- (i) in clause (ia), for the existing punctuation mark “.” appearing at the end, the punctuation mark “;” shall be substituted and clause (ia), so amended, shall be renumbered as clause (i-b); and before the existing clause (i-b), so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:-

“(i-a) “ancestral property” means the property inherited from one's mother or father or from their predecessors and includes the property of a coparcenary or an Undivided Hindu Family;” and

- (ii) for the existing clause (x-a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(x-a) “concession agreement” means an agreement between the Central or State Government, local authority, statutory body or any other instrumentality of said Governments on one hand and a private entity on the other hand for providing public goods or services wherein such Government, authority, body or instrumentality grants certain specified right by way of licence to the private entity for a specified period to enable it to implement the project of such public goods or services;”.

4. Insertion of new section 64-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing section 64 and before the existing CHAPTER VI of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

“64-A. Refund of amount deposited as stamp duty and/or surcharge but not required to be used as such.- When any person has deposited any amount through e-GRAS to be used as stamp duty and/or surcharge in respect of any instrument intended to be executed by or in favour of him and thereafter either the intended instrument is not executed or the amount cannot be used for that instrument for any reason whatsoever or otherwise becomes refundable under section 58, the Collector shall refund such amount, deducting therefrom ten paise for each rupee or fraction of a rupee, upon an application filed within six months from the date on which such amount is deposited or, as the case may be, becomes refundable and proving to the satisfaction of the Collector-

- (a) that the intended instrument has not been executed; or
- (b) that the amount cannot be used as stamp duty and/or surcharge for that instrument for the reason or reasons specified in the application or has become refundable under section 58; and
- (c) that the application for refund has been filed within six months from the date of deposit of the amount or as the case may be, from the date on which the amount becomes refundable.”.

5. Amendment of Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule to the principal Act,-

- (i) in clause (c) of Article 5, in proviso, appearing under Column No. 2, for the existing expression "three years", the expression "five years" shall be substituted;
- (ii) in Article 35-B, for the existing clause (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) Instrument of conversion of a firm, a private limited company or an unlisted public limited company into

limited liability partnership or *vice-versa*-

- (a) where on conversion immovable property vests in the resultant entity Two percent on the market value of immovable property.
- (b) in any other case Five thousand rupees.”; and
- (iii) in Article 48, for the existing clause (a), the following shall be substituted, namely:-
 - “(a) in case of ancestral property 1.5 percent of the amount equal to the market value of the share, interest, part or claim renounced.”.

CHAPTER III

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005

6. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 7 of 2005.- In section 6 of the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (Act No. 7 of 2005),-

- (i) for the existing clause (c), the following shall be substituted, namely: -
 - “(c) restrict its total outstanding debt up to 38.2 per cent of Gross State Domestic Product within a period of six years, beginning from the 1st day of April 2020, and ending on the 31st day of March 2026 and thereafter maintain the said ratio or reduce it;”;
- (ii) in clause (d) of the first proviso, for the existing punctuation mark “:” appearing at the end, the expression “; or” shall be substituted and after the said clause (d), so amended, the following shall be added, namely:-
 - “(e) due to additional borrowing limit allowed by the Central Government on account of Covid-19 pandemic:”.

CHAPTER IV

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

7. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- For the existing first proviso to sub-section (2) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicle Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the following shall be substituted, namely:-

“Provided that,-

- (i) the period of such surrender or non-use shall not be less than seven days for stage carriages and less than thirty days for other than stage carriages; and
- (ii) the period of such surrender shall not be more than ninety days for all categories of vehicles except in the case of theft of the vehicle:”.

CHAPTER V
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN CONTINGENCY FUND ACT, 1956

8. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 40 of 1956.- In sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Contingency Fund Act, 1956 (Act No. 40 of 1956), for the existing expression "five hundred crores of rupees", the expression "one thousand crores of rupees" shall be substituted.

CHAPTER VI
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

9. Amendment of section 33, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 33 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after the existing sub-section (4) and before the existing sub-section (5), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(4A) Notwithstanding anything contained in this section, the rectification application pertaining to any period up to 30th June, 2017 may be filed by 30th June, 2021 and such applications shall be disposed of up to 30th September, 2021 or within six months from the date of filing thereof, whichever is later."

10. Amendment of section 34, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 34 of the principal Act, after the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(3A) Notwithstanding anything contained in this section, the application under this section pertaining to any period up to 30th June, 2017 may be submitted manually, directly to the concerned assessing authority up to 30th September, 2021 and the assessing authority shall proceed to make a fresh assessment within ninety days of the receipt of such application."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

There are provisions of stamp duty on the ancestral property under article 48 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 but the term 'ancestral property' is not defined in the said Act. Hence the definition of the expression 'ancestral property' is proposed to be included in the Act.

Definition of concession agreement is proposed to be amended so as to bring in its ambit the concession agreements executed by the Central Government and the State Governments, local authorities, statutory bodies or any other instrumentalities of the said Governments and to clarify its scope.

According to the provisions of the Rajasthan Stamp Act, 1998 stamp duty and surcharge may also be paid through e-GRAS along with other methods of payment of stamp duty but the provisions of refund of extra stamp duty or surcharge paid through e-GRAS have not been made expressly in the said Act. Hence to make express provisions for refund of stamp duty or surcharge paid through e-GRAS a new section 64-A is proposed to be added in the said Act.

According to present provisions of the proviso to clause (c) of Article 5 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998, stamp duty paid on an agreement to sale is adjusted at the time of registration of the conveyance deed executed in pursuance of such agreement within three years from the date of the execution of the agreement to sale. Whereas under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Act No. 16 of 2016), the Chief Minister's Jan Awas Yojana or the Rajasthan Township Policy the competent authority may allow or extend the period of completion of the real estate project for more than three years. Whereas competent authority allows or extends the period of completion of the real estate project for more than three years, the allottee or beneficiary under such project is deprived of the benefit of adjustment of the stamp duty paid by him on the agreement to sale. Therefore the period of adjustment of stamp duty paid on an agreement to sale at the time of registration of the conveyance deed is proposed to be increased from three years to five years.

At present stamp duty is prescribed on the instruments of conversion of firm, private limited company or unlisted public limited company into Limited Liability Partnership under article 35-B of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 but there is no provision regarding stamp duty on the instrument of conversion of Limited Liability Partnership into a private limited company. Therefore to make provisions of stamp duty on the instrument of conversion of Limited Liability Partnership into a private limited company provisions of Article 35-B are proposed to be amended.

At present concession in stamp duty is available to certain specified co-owners, co-sharers and coparceners where they renounce their interest, share or claim in ancestral property. Now this benefit is proposed to be extended to all the co-owners,

co-sharers and coparceners in ancestral property. Accordingly, article 48(a) of the Schedule to the said Act is proposed to be amended suitably.

2. THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005

The Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 was enacted for the purpose of enabling the State Government to manage State finances in a fiscally responsible manner by undertaking fiscal consolidation with time bound targets. After 2019-20, limit of the outstanding debt is not prescribed in the Act. Therefore, clause (c) of section 6 of the Act is proposed to be amended.

Due to the unprecedented COVID-19 pandemic and related lockdown there has been serious negative impact on the financial resources and economic growth of the State in the current financial year. The state requires additional resources to combat the pandemic and maintain the standards of service delivery to the public, which may force the government to go for additional borrowings to shore up resources.

The Central Government recently allowed the States for additional borrowings of up to 2 per cent of the Gross State Domestic Product (GSDP) over and above the normal limit of 3 per cent (total up to 5 per cent of the GSDP) in the financial year 2020-21 subject to carry out the necessary amendments to the respective Fiscal Responsibility Budget Management Acts.

Therefore, a new clause (e) in the first proviso of section 6 of the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 is proposed to be added.

3. THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

Sub-section (2) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 provides for imposition of motor vehicle tax on all motor vehicles used or kept for use in the State, except for the period during which the owner surrenders the certificate of registration. First proviso to the said sub-section mentions minimum period for such surrender or non-use i.e. one month which is a calendar month. The term of one month compels the owners of vehicles other than stage carriages to keep their registration certificate surrendered for more period owing to complete the periodicity of one calendar month. To remove this compulsion it was considered that for the term of one month the term of thirty days be substituted. The existing proviso does not provide for maximum period of surrender. Hence, appropriate amendment is required to provide for maximum period of ninety days of surrender of registration certificate for all the categories of vehicles except in case of theft of vehicle.

Accordingly, first proviso to sub-section (2) of section 4 of the Act is proposed to be amended.

4. THE RAJASTHAN CONTINGENCY FUND ACT, 1956

The Rajasthan Contingency Fund Act, 1956 makes a provision of a sum of five hundred crores of rupees to be placed at the disposal of the Governor for meeting

unforeseen expenditure not provided for in the budget. Size of Government budget has increased almost more than double since last revision in 2013. Likewise demands of unforeseen items is also likely to go up. It is, therefore, proposed that the imprest in the Rajasthan Contingency Fund be raised from five hundred crores of rupees to one thousand crores of rupees.

5. THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

The Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017) which repealed the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, came into force from 01.07.2017. However, a large number of demands and disputes pertaining to the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 are outstanding on account of ex-parte assessments and for want of rectification.

Section 33 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 provides for rectification of any mistake apparent from the record. Sub-section (2) of the said section provides that no application for rectification shall be filed after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified and sub-section (4) of the said section provides that no rectification under the said section shall be made after the expiry of four years from the date of the order sought to be rectified. It is therefore, proposed to insert a new sub-section (4A) after the existing sub-section (4) and before the existing sub-section (5) of section 33 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 so as to extend the dates for filing of application for rectification of mistakes apparent from the record pertaining to the period up to 30.06.2017, along with the disposal thereof.

Section 34 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 provides for re-opening of ex-parte assessment, wherein, the dealers are required to make the application regarding the same before the concerned Deputy Commissioner (Administration) within thirty days of the service of the notice of demand in consequence of the assessment. The Deputy Commissioner (Administration), on being satisfied with respect to the judiciousness of the same may direct the Assessing Authority to cancel the ex-parte assessment and make a fresh assessment. Therefore, in order to simplify the procedure, it is proposed to add a new sub-section (3A) after the existing sub-section (3) of the above section so as to extend the dates for filing of application for re-opening of ex-parte assessments pertaining to the period up to 30.06.2017, along with its disposal and applying directly before the concerned assessing authority instead of the concerned Deputy Commissioner (Administration).

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

FINANCIAL MEMORANDUM

Attention is invited to clause 8 of the Bill whereby an additional amount of Five Hundred crores of rupees is provided to be paid in the Contingency Fund of the State of Rajasthan from and out of the Consolidated Fund of the State.

The expenditure will be of a non-recurring nature.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998
(ACT NO. 14 OF 1999)**

XX	XX	XX	XX
2. Definitions.- In this Act, unless there is something repugnant in the subject or context.-			
(i)	XX	XX	XX
(ia)	'association' means any association of person, exchange broker, or any other organisation or body of persons, whether incorporated or not, and regulating or controlling or conducting business of the sale or purchase of, or other transaction relating to, any goods or marketable securities.		
(ii) to (x)	XX	XX	XX
(x-a)	"Concession agreement" means an agreement involving grant of any right by the Government, local authority, public sector undertaking or other statutory entity in respect of any of its land or property situated in the State, to provide some service on commercial basis using such land or property;		
(xi) to (xxxvii)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

**THE SCHEDULE
(See Section 3)**

Description of Instrument		Proper Stamp duty	
1		2	
XX	XX	XX	XX
5. Agreement or memorandum of an agreement-			
(a) to (b)	XX	XX	XX
(c) if relating to purchase or sale of an immovable property, when possession is neither given nor agreed to be given;	Three per cent of the total consideration of the property as set forth in the agreement or memorandum of an agreement: Provided that the stamp duty paid on such agreement shall at the time of execution of a conveyance in pursuance of such agreement subsequently be adjusted towards the total amount of duty chargeable on the conveyance if such conveyance deed is executed within three years from the date of agreement.		
(d) to (g)	XX	XX	XX

XX	XX	XX	XX
35-B. Limited Liability Partnership (LLP).- (1)	XX	XX	XX
(2) Instrument of conversion of firm/ private limited company/unlisted public limited company into limited liability partnership-			
(a) where on conversion immovable property vests in limited liability partnership		Two percent on the market value of immovable property.	
(b) in any other case		Five thousand rupees.	
(3) to (4)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX
48. Release, that is to say any instrument, not being such a release as is provided for by section 26(2), where by a co-owner, co-sharer or coparcener renounces his interest, share, part or claim in favour of another co-owner, co-sharer or coparcener,-			
(a) If the release deed of an ancestral property or part thereof is executed by or in favour of brother or sister (children of renouncer's parents) or son or daughter or son of predeceased son or daughter of a predeceased son or father's sister or son of predeceased brother or mother's brother or sister's son or sister's daughter or father or mother or spouse of the renouncer.		1.5 percent of the amount equal to the market value of the share, interest, part or claim renounced.	
(b)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY
AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005
(ACT NO. 7 OF 2005)**

XX	XX	XX	XX
6. Fiscal Management Targets.- In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall-			
(a) to (b)	XX	XX	XX
(c) restrict its total outstanding debt upto 36.5, 36.5, 35.5, 35.0 and 34.0 per cent of Gross State Domestic Product for the financial year 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20 respectively;			
(d) to (f)	XX	XX	XX
Provided that revenue deficit and fiscal deficit may exceed the limits specified under this section-			
(a) to (c)	XX	XX	XX

- (d) due to take-over of loans of the Power Distribution Companies and interest thereon under the Ujjwal DISCOM Assurance Yojana promulgated by the Government of India in the Ministry of Power vide Office Memorandum No. 06/02/2015-NEF/FRP dated 20th November, 2015:

Provided further that the excess beyond limits arising due to the grounds mentioned in the first proviso shall be explained with a detailed statement on the said grounds, as soon as possible, before the House of the State Legislature.

XX XX XX XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES
TAXATION ACT, 1951
(ACT NO. XI OF 1951)**

XX XX XX XX

4. Imposition of Tax.- (1) XX XX XX

(2) A tax on motor vehicles other than those covered by one time tax shall be payable under this section by the owner of motor vehicle except for the period during which the owner surrenders the certificate of registration to the taxation officer, in the prescribed manner, that the vehicle has remained out of use for such reasons as may be prescribed, or satisfies the taxation officer that vehicle has not been used due to following reasons:-

(i) to (iii) XX XX XX

Provided that the period of such surrender or non-use shall not be less than seven days for stage carriages and less than one month for other than stage carriages:

Provided further that where a motor vehicle, other than those which has paid One Time Tax under clause (b) of sub-section (1) of section 4, is found plying after the surrender of the certificate of registration, the tax on such vehicle shall be payable forthwith for the entire period for which such registration was surrendered along with a penalty equal to five times the amount of tax but no such tax or penalty shall be charged from empty vehicle going for repair or for test purposes.

XX XX XX XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN CONTINGENCY FUND
ACT, 1956
(ACT NO. 40 OF 1956)**

XX XX XX XX

3. Establishment of the State Contingency Fund, the custody thereof and withdrawals therefrom.- (1) With effect from the appointed day there shall be established for the State a Contingency Fund in the nature of an imprest entitled the Contingency Fund of the State of Rajasthan into which shall be paid from and out of the Consolidated Fund of the State a sum of five hundred crores of rupees.

XX (2) XX XX XX XX XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT,
2003
(Act No. 4 of 2003)**

XX XX XX XX

33. Rectification of a mistake.— (1) XX XX XX

(2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.

(3) XX XX XX

(4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of the order sought to be rectified.

(5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.

34. Reopening of ex-parte assessment.— (1) Where an assessment has been made ex-parte under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27, the Deputy Commissioner (Administration) may, on the application of the dealer made within thirty days of the date of service of the notice of demand in consequence of such assessment along with such fee as may be prescribed, by an order direct the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner as the case may be, to cancel the assessment and proceed to make a fresh assessment in accordance with the provisions of law.

(2) Before issuing direction under sub-section (1), the Deputy Commissioner (Administration) should be satisfied that the applicant dealer did not receive notice or summons issued to him under section 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27 or that he was prevented by sufficient cause from complying with any notice or summons issued to him for assessment.

(3) Where the order for cancellation of the assessment under sub-section (1) has been passed, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner as the case may be, shall make fresh assessment within sixty days from the communication of the order passed by the Deputy Commissioner (Administration) under sub-section (1).

XX XX XX XX